

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/2972

दिनांक: 1-7-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पूर्व में नियुक्त श्री महेन्द्र कुमार, विधि सलाहकार, नगरपालिका केसरीसिंहपुर को तुरन्त प्रभाव से हटाते हुए इनके स्थान पर श्री पलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, अधिवक्ता (इन्सोलमेन्ट नं. आर/2233/2006) को नगरपालिका केसरीसिंहपुर में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/ विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका केसरीसिंहपुर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/2973-2982 दिनांक: 1-7-2021
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
05. अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगरपालिका केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
06. श्री पलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता, नगरपालिका केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
07. श्री महेन्द्र कुमार, विधि सलाहकार, नगरपालिका केसरीसिंहपुर को सूचनार्थ।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी